न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2021-197Ju2021-104 Pokarram Vs Gajaridevi etc

पोकरराम पुत्र श्री भूराराम जाति विश्नोई, निवासी- धतरवालों की ढाणी, भाकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. श्रीमती गजरीदेवी पत्नी स्व. श्री भानाराम
02. पुखराज पुत्र स्व. श्री भानाराम
03. रामनिवास पुत्र स्व. श्री भानाराम सभी जातियान् विश्नोई निवासीगण- भाकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 28 जून 2021 राजस्व पार्थना पत्र संख्या 50/2019 श्रीमती गजरीदेवी व अन्य बनाम पोकरराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2019 श्रीमती गजरीदेवी व अन्य ब नाम पोकरराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 28 जून 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 02 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहत इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 160 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा मौजा भाकरासनी में स्थित है। प्रार्थी/रेस्पो. की उक्त भूमि के चिपती खसरा नं. 161 की भूमि अप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी की है जिसमें से रास्ता आगे पाली जाने वाली मुड़िया सड़क सें मिलता है जो अप्रार्थी की भूमि खसरा नं.161 मे आया हुआ है। प्रार्थीगण कदीमी रूप से नजरी नक्शे में दर्शित बिंदु ए. बी. सी.डी. के अनुसार आवागमन करता है, जिसका नजरी नक्शा साथ में सलंग्न है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में दर्ज नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त रास्ता वर्ष 2018-19 में बंद कर दिया जो प्रार्थीगण के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 28 जून 2021 को खसरा नं. 161 में सें रास्ता देने का आदेश दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2021 न्याय, नियम, एवं अभिलेख के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता उसकी खातेदारी के खेत नं. 160 के पश्चिम में मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 में दर्शाये अनुसार मौजूद है, तब आवेदन का धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है, इसलिए अपीलाधीन आदेश उक्त वैकल्पिक रास्ते की अनदेखी करते हुए पारित किया गया होने से निरस्त योग्य है। विवादित रास्ता अपीलार्थी के खेत के दो टुकड़े करते हुए प्रस्तावति किया है, तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलार्थी के खेत के दो टुकड़े करते हुए प्रस्तुत की गई है, जबकि धारा 251-क के प्रावधानों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खेत के दो टुकड़े करके रास्ता नहीं दिया जा सकता है। खेम के दो टुकड़े करके रास्ता दिये जाने से प्रार्थी का खेती करना कठिन हो जायेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उक्त कानूनी बिंदुओं को देखे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश से खसरा नं. 160/1 से होकर खसरा नं. 159 के पास के कटाणी रास्ते के बारे में विरोधाभासी व्याख्या की है। एक तरफ तो खसरा नं. 159 के पास रास्ता नहीं होना बतया है तथा उसके बाद रास्ता लंबा हो जाने का आधार दिया है, जबकि उक्त रास्ता किस प्रकार से लंबा पड़ता है? का कोई आधार नहीं है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश विरोधाभाषी एवं आधार हीन होने से खारिज किये जाने के योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी के लिये दोनो रास्तों में सें कौनसा रास्ता उचित है तथा लम्बी दूरी का है, बस इस बाबत् विवाधक कायम कर उसका साक्ष्य लेकर उक्त बिंदु को तय करना आवश्यक था। वर्तमान मामले में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य लिये बिना उक्त रास्ता लंबा है, उक्त रास्ता निकट है, का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश कयासी आधारों पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मूल खसरा नं. 160 कटाणी मार्ग से जुड़ा हुआ था, परंतु विभाजन के समय मूल खसरा नं. 160 के खातेदारान् द्वारा रास्ते का प्रावधान रखे बिना ही बंटवाड़ा कर लिया गया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2021 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन ने कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 160 मौजा भाकरासनी में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/अपीलांट्स की भूमि खेत खसरा नं. 161 में सें अपीलाधीन कदीमी रास्ता पिछले कई वर्षो से चलता है, जहां से रेस्पोडेंट आवागमन करता है। उक्त रास्ता रेस्पोडेंट्स के लिए निकटतम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं लघुतम रास्ता है। रास्ते के संबंध में बनाए कानून में खेत के टुकड़े नहीं हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **अपीलाधीन रास्ता प्रदत कर अपीलांट के खेत खसरा नं. 161 को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया है।** मौका फर्द दिनांक 03.09.2019 के मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शें अनुसार चाहे गये रास्ते के निशानात् खसरा नं. 161 में नहीं पाये गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क की मंशा काश्तकारों के खेत की सीमा के **सहारे-सहारे रास्ता प्रदत किये जाने की है न कि खेत को टुकड़ों मे विभाजित करना।** पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 17.02.2021 के मुताबिक मूल खसरा नं. 160 भाकरासनी से मोगड़ा की तरफ जाने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है जो प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उपलब्ध होना बताया गया है। इसलिए प्रार्थीगण को कानूनन अपने मूल खसरा 160 में सें ही रास्ता प्राप्त किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलिखित वैकल्पिक रास्ते बाबत विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2019 श्रीमती गजरीदेवी व अन्य बनाम पोकरराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 28 जून 2021 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर